

## राजस्थान पुलिस अकादमी में नेत्रदान अभिप्रेरण सत्र

जयपुर दिनांक 02.09.2016 राजस्थान पुलिस अकादमी में 'आई बैंक सोसायटी ऑफ राजस्थान' के द्वारा नेत्रदान के लिए जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से अभिप्रेरण सत्र रखा गया। इस सत्र में अकादमी के निदेशक राजीव दासोत एवं अन्य अधिकारियों के अतिरिक्त अकादमी में प्रशिक्षणरत आरपीएस, पुलिस उप निरीक्षक, कॉन्स्टेबल के अतिरिक्त प्रमोशन केडर कोर्स के सहायक उप निरीक्षक प्रशिक्षु भी शामिल हुए।

आई बैंक सोसायटी ऑफ राजस्थान से अभिप्रेरण सत्र में श्री अशोक भण्डारी, सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी एवं श्री एस.सी. मेहता, सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी पधारे। जिन्होंने नेत्रदान के संबंध में विभिन्न जानकारियाँ प्रदान करते हुए नेत्रदान से जुड़ी विभिन्न भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया। इस अवसर पर उनके द्वारा नेत्रदान से संबंधित पोस्टर भी लगाये गये, जिन पर "अन्धेरे सपनों में रंग भरो, नेत्रदान करो", "नेत्रदान को अपने परिवार की परम्परा बनाईए", "सुन्दर संसार, बिना दृष्टि सब बेकार", "दान करो आँखों के मोती, अमर रहेगी जीवन ज्योति" जैसे सन्देश लिखे हुए थे।



सत्र की शुरुआत करते हुए श्री अशोक भण्डारी ने बताया कि जहाँ अंगदान जीवित व्यक्ति का ही किया जा सकता है, नेत्रदान मृत्यु पश्चात् किया जाता है। उन्होंने बताया कि नेत्रदान व्यक्ति की मृत्यु के 6 घण्टे पश्चात् तक किया जा सकता है जिसमें लैन्स निकालने के पश्चात् आँख को बन्द कर दिया जाता है। उन्होंने इस अवसर पर एक छात्र, जिसकी आँख में कोर्निया लगाया गया था, को भी उसके माता-पिता के साथ प्रस्तुत किया तथा इस संबंध में उनके अनुभव बताने के लिए कहा तो पिता ने बच्चे की रोशनी जाने एवं उसके पश्चात् इलाज के बारे में बताया। इस दौरान बच्चे की माँ की आँखों में खुशी के आँसू आ गये। उन्होंने नेत्रदान में पुलिस की विशेष भूमिका का उल्लेख करते हुए बताया कि जिन लोगों की मृत्यु अकाल या दुर्घटना में होती है, उनके परिजनों से नेत्रदान करवाने में पुलिस अभिप्रेरण

का कार्य कर सकती है। नेत्रदान मात्र 20 मिनट में किया जा सकता है तथा कोर्निया को निकालने के पश्चात् 72 घण्टे तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों द्वारा पंचनामें के दौरान नेत्रदान के संबंध में सकारात्मक निर्देशों का भी उल्लेख किया।

इस अवसर पर नेत्रदान पर एक लघु फिल्म भी दिखायी गयी तथा नेत्रदान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया गया।

इस अवसर पर श्री एस.सी. मेहता ने नेत्रदान से संबंधित पूछे गये प्रश्नों के उत्तर दिये तथा बताया कि नेत्रदान सिर्फ कोर्नियल ब्लाइंडनेस से ही संबंध रखता है। अन्य प्रकार से अन्धेपन में नेत्रदान संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि नेत्रदान 02 से 80 साल तक की उम्र तक के व्यक्ति का किया जा सकता है। इस अवसर पर पम्फलेट आदि वितरित कर नेत्रदान के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान की गई तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों में नेत्रदान महादान आई कार्ड भरकर आई बैंक सोसायटी ऑफ राजस्थान को देने का आह्वान किया गया।



इस अवसर पर उपस्थित लगभग 500 अधिकारियों एवं प्रशिक्षुओं को सम्बोधित करते हुए अकादमी के निदेशक श्री राजीव दासोत ने नेत्रदान के महत्व तथा नेत्रदान जैसे पावन कार्य को प्रोत्साहित करने में आई बैंक सोसायटी ऑफ राजस्थान की भूमिका की सराहना की। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों एवं प्रशिक्षुओं का आह्वान करते हुए कहा कि हम वर्दीधारी जीते जी अपने प्राणों की आहूति देने में पीछे नहीं हटते तो मृत्यु के पश्चात् नेत्रदान में शंका अथवा संकोच नहीं होना चाहिए। उन्होंने सभी उपस्थित अधिकारियों एवं प्रशिक्षुओं से अधिकाधिक नेत्रदान संकल्प पत्र भरने का आह्वान किया जिसके परिणाम स्वरूप कार्यक्रम के पश्चात् बड़ी संख्या में संकल्प पत्र भरे गये। उन्होंने इस अवसर पर आई बैंक सोसायटी ऑफ राजस्थान का आभार व्यक्त किया।